अपीलीय सिविल

पी. एस. पट्टर, जे. के समक्ष

सिरी चंद- अपीलकर्ता।

बनाम

राम चंद - उत्तरदाता। ^

1973 का एस.ए.ओ. नंबर 42

5 मार्च, 1974।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5) - *धारा* 99 *और आदेश* 18, *नियम* 5, 8 *और* 14 - *अपील योग्य मामले में गवाहों के साक्ष्य अदालत की भाषा में दर्ज नहीं किए गए हैं, बल्कि अंग्रेजी में एक टाइपिस्ट को निर्देश द्वारा दर्ज किए गए हैं - न्यायाधीश साक्ष्य पर हस्ताक्षर करते हैं - साक्ष्य की ऐसी रिकॉर्डिंग - क्या गवाही को अमान्य बनाने वाली अवैधता है - ऐसे सबूतों के आधार पर पारित डिक्री - क्या अमान्य है।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो मामले अपील योग्य हैं, उनमें साक्ष्य के एक या दो रिकॉर्ड हो सकते हैं। यदि केवल एक रिकॉर्ड है, तो इसे न्यायाधीश द्वारा अपने हाथ में लिखित रूप में बनाया जाना चाहिए; यदि, हालांकि, न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में साक्ष्य लिया जाता है, हालांकि न्यायाधीश की उपस्थिति और व्यक्तिगत निर्देशन और अधीक्षण में, तो न्यायाधीश को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के नियम 8 और 14 द्वारा प्रदान किए गए अनुसार एक ज्ञापन भी बनाना चाहिए या करना चाहिए। यदि गवाहों के साक्ष्य स्वयं न्यायाधीश द्वारा न्यायालय की भाषा में दर्ज नहीं किए जाते हैं, एक टाइपिस्ट को अंग्रेजी में हुक्म दिया जाता है और साक्ष्य पर न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो संहिता के आदेश 18, नियम 5, 8 और 14 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है। तथापि, ये प्रावधान निर्देशिका हैं और इनका अनुपालन न करने से ये कथन अस्वीकार्य नहीं हो जाते हैं। इस तरह से साक्ष्य की रिकॉर्डिंग एक अवैधता नहीं है, बल्कि केवल एक अनियमितता है जो मामले के गुण-दोष या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है। यह अपने आधार पर पारित डिक्री को शून्य नहीं बनाता है।

गुड़गांव के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री आरएल गर्ग की अदालत के दिनांक 13 अगस्त, 1973 के आदेश से दूसरी अपील में 16 अप्रैल, 1971 *को गुड़गांव के* प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश श्री हरि राम के आदेश को पलटते *हुए अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया और*

कानून के अनुसार पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज करने और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए भेज दिया गया। पार्टियों को अपनी लागत वहन करनी होगी।

अपीलकर्ता की ओर *से जीसी मित्तल, एडवोकेट।*

प्रतिवादी की ओर *से एडवोकेट बलवंत सिंह गुप्ता।*

सिरी चंद ***बनाम*** राम चंद (पट्टर, जे।)

निर्णय

पत्तर, जे- यह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के 13 अगस्त, 1973 के आदेश के खिलाफ सिरी चंद प्रतिवादी द्वारा दायर अपील है, जिसके तहत उन्होंने राम चंदर वादी की अपील को स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और कानून के अनुसार पार्टियों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद मुकदमे को नए निर्णय के लिए भेज दिया।

(2) इस मामले के तथ्य यह हैं कि नाथी माई की विधवा भूरा लाल को इस तरह से गोद लिया गया था, इसलिए वाद के पैरा नंबर 1 में पूरी तरह से वर्णित मुकदमे में सुश्री गैंडा भूमि की मालिक थीं और 10 दिसंबर, 1967 को उनकी मृत्यु हो गई। 20 अक्टूबर, 1967 को उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राम चंदर वादी के पक्ष में वसीयत कर दी। भूरा लाल की मृत्यु के बाद, राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि को सिरी चंद, प्रतिवादी के पक्ष में उत्परिवर्तित किया गया था, जिसने खुद को भूरा लाई का दत्तक पुत्र होने का दावा किया था। इसलिए, वादी ने इस आरोप पर इस भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया कि वह भूरा लाई द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर इस भूमि का उत्तराधिकारी है और मृतक ने सिरी चंद को अपने बेटे के रूप में नहीं अपनाया था। तथ्य और कथित गोद लेने की वैधता को चुनौती दी गई थी। प्रतिवादी ने वाद पत्र में लगाए गए आरोपों से इनकार किया। पक्षकारों की दलीलों पर ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -

"(1) क्या मृतक ने वादी के पक्ष में वैध वसीयत बनाई थी? यदि हां, तो किस प्रभाव तक?

(3) क्या वादी भूरा लाल मृतक के सामान्य पूर्वज का प्रत्यक्ष वंशज है, यदि हां, तो किस प्रभाव से?

(4) क्या प्रतिवादी को भूरा लाल ने गोद लिया था, यदि हां, तो किस प्रभाव से?

(5) क्या मुकदमा सीमा के भीतर है?

(6) क्या पार्टियां उत्तराधिकार और गोद लेने और अलगाव के मामलों में रिवाज द्वारा शासित होती हैं, यदि हां, तो वह रिवाज क्या है?

(7) क्या मुकदमा संपत्ति पैतृक है, प्रतिवादी के लिए मृतक की संपत्ति है?

(8) क्या मुकदमा संपत्ति मृतक और प्रतिवादी के *पैतृक* और सह-पैतृक है?

(9) क्या कोर्ट फी के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का उचित मूल्यांकन किया गया है?

(10) राहत।"

ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में मुद्दे संख्या 4, 5 और 8 का फैसला किया और वादी के खिलाफ मुद्दे संख्या 1, 2, 3, 6 और 7 का फैसला किया- परिणामस्वरूप, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। असंतुष्ट महसूस करते हुए राम चंदर वादी ने जिला जज की अदालत में इस डिक्री के खिलाफ अपील दायर की। अपीलकर्ता की ओर से, अपील की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने हिंदी में साक्ष्य दर्ज नहीं किए, जो हरियाणा राज्य में अदालत की भाषा थी और फाइल और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कोई कानूनी सबूत नहीं था, इसलिए, कायम नहीं रह सकता। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और कानून के अनुसार साक्ष्य दर्ज करने के बाद मामले को नए फैसले के लिए भेज दिया। असंतुष्ट महसूस करते हुए, सिरी चंद प्रतिवादी ने यह अपील दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि निचली अपीलीय अदालत का निर्णय गलत है और इसे रद्द किया जा सकता है और मामले को राम चंदर वादी की अपील पर निर्णय लेने के लिए निचली अपीलीय अदालत में भेजा जा सकता है।

(3) यह निर्विवाद है कि ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के गवाहों के साक्ष्य हिंदी में दर्ज नहीं किए, जो हरियाणा राज्य में अदालत की भाषा है और उनके साक्ष्य केवल अंग्रेजी में लिखे गए थे। निचली अपीलीय अदालत के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18, नियम 5, 8 और 9 के प्रावधानों का ट्रायल कोर्ट द्वारा उल्लंघन किया गया था। मैं संदर्भ सुविधा के लिए इन उपबंधों को निर्धारित कर सकता हूं -

> "*आदेश* 18, *नियम* 5. — ऐसे मामलों में जिनमें अपील की अनुमति दी जाती है, प्रत्येक गवाह के साक्ष्य को लिखित रूप में, न्यायालय की भाषा में, न्यायाधीश की उपस्थिति में या उसकी उपस्थिति में और व्यक्तिगत निर्देशन और अधीनता के तहत, आमतौर पर प्रश्न और उत्तर के रूप में नहीं, बल्कि एक कथन के रूप में लिया जाएगा और, जब पूरा हो जाता है, तो न्यायाधीश और गवाहों की उपस्थिति में पढ़ा जाएगा, और न्यायाधीश, यदि आवश्यक हो, तो इसे ठीक करेगा, और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

आदेश 18, *नियम* 8- जहां न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य लिखित रूप में नहीं लिया जाता है, वह प्रत्येक गवाह की जांच के रूप में, प्रत्येक गवाह की गवाही के

सार का एक ज्ञापन बनाने के लिए बाध्य होगा, और इस तरह के ज्ञापन को न्यायाधीश द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।

> *आदेश* 18, *नियम* 9- जहां अंग्रेजी न्यायालय की भाषा नहीं है, लेकिन 'वाद के सभी पक्षकार, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, और ऐसे पक्षकार जो वादियों द्वारा उपस्थित होते हैं, ऐसे साक्ष्य रखने पर आपत्ति नहीं करते हैं जो अंग्रेजी में अंग्रेजी में दिया गया है, तो न्यायाधीश इसे रद्द कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18, नियम 9 का वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यह निर्विवाद है कि पार्टियों के किसी भी गवाह ने अंग्रेजी में सबूत नहीं दिया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के नियम 8 में यह परिकल्पना की गई है कि यदि न्यायाधीश की उपस्थिति में और न्यायाधीश की व्यक्तिगत निदेशन और अधीक्षण के तहत न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में साक्ष्य लिया जाता है, तो न्यायाधीश को भी इस नियम द्वारा प्रदान किए गए अनुसार एक ज्ञापन बनाना चाहिए या करना चाहिए। यदि न्यायाधीश नियम 8 द्वारा अपेक्षित ज्ञापन देने में असमर्थ है, तो वह इस तरह की असमर्थता का कारण दर्ज करने का कारण बताएगा, और आदेश 18 के नियम 14 के अनुसार खुली अदालत में अपने निर्देश से लिखित में ज्ञापन देगा। इस मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि अधीनस्थ न्यायाधीश ने वादी के सभी 12 गवाहों के साक्ष्य अंग्रेजी में एक टाइपिस्ट को दिए। अधीनस्थ न्यायाधीश ने स्वयं जाफर हुसैन डीडब्ल्यू 1 और ईश्वरी प्रसाद, याचिका-लेखक, डीडब्ल्यू 2 के बयान हिंदी में दर्ज किए। अधीनस्थ न्यायाधीश ने स्वयं अंग्रेजी में जय नारायण डीडब्ल्यू 3, ओम प्रकाश डी डब्ल्यू 4, शेर लाल डी डब्ल्यू 5, संग्राम सिंह डी डब्ल्यू 6 और कांशी नाथ, डी डब्ल्यू 7 के बयान दर्ज किए और सतपाल डी डब्ल्यू 10, किशन मुरारी लाल डी डब्ल्यू 11, राम किशन गुप्ता डी डब्ल्यू 12, राम नाथ डी डब्ल्यू 13 के बयान भी दर्ज किए। चंदगी राम डी.डब्ल्यू. 14, बाल राम डी.डब्ल्यू. 15 और मूल चंद डी.डब्ल्यू. हालांकि, मूल चंद डीडब्ल्यू 8, नाथी मल डीडब्ल्यू 9, मुरारी लाल डीडब्ल्यू 16 और देबी सहाय 17 के बयान एक टाइपिस्ट को अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए थे। डी.डब्ल्यू 19 के रूप में सिरी चंद प्रतिवादी का बयान आंशिक रूप से अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था और आंशिक रूप से यह टाइपिस्ट को अंग्रेजी में लिखा गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश 18, नियम, 5, 8 और 14 के प्रावधानों के अनुसार पार्टियों के साक्ष्य दर्ज नहीं किए गए थे। जफर हुसैन डीडब्ल्यू 1 और ईश्वरी प्रसाद डीडब्ल्यू 2 के बयानों को छोड़कर पक्षकारों के सभी गवाहों के साक्ष्य हिंदी में दर्ज नहीं किए गए थे, जो हरियाणा में अदालतों की आधिकारिक भाषा है। हालांकि, आदेश 18, नियम 6, सिविल प्रक्रिया संहिता, में कहा गया है कि जब साक्ष्य को अलग भाषा में लिया जाता है

जिसमें से यह दिया गया है, और गवाह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें इसे नीचे उतारा गया है, लिखित रूप में लिए गए साक्ष्य की व्याख्या उसे उस भाषा में की जाएगी जिसमें यह दिया गया है। फाइल पर ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे पता चले कि अंग्रेजी में दर्ज किए गए सभी गवाहों के साक्ष्य की व्याख्या उन्हें इस नियम 6 के अनुसार की गई थी। हालांकि, इन गवाहों में से प्रत्येक के बयानों के अंत में, 'आर.ओ. और ए.सी.' शब्द लिखे गए हैं, यानी, पढ़ा और स्वीकार किया गया सही। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ई) के अनुसार, न्यायालय यह मान सकता है कि सभी न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं। फाइल पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे पता चले कि जिन गवाहों के साक्ष्य अंग्रेजी में दर्ज किए गए थे, उनके बयानों की उन्हें व्याख्या नहीं की गई। इसलिए, यह माना जा सकता है कि बयानों को दर्ज करने के बाद गवाहों को उनकी व्याख्या की गई थी।

(4) अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री जी. सी. मित्तल ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा कि आदेश 18, नियम 5, 8 और 14, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा आवश्यक तरीके से साक्ष्य दर्ज नहीं करना एक अवैधता नहीं है, बल्कि एक मात्र अनियमितता है, जिसने मामले के गुण-दोष या अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। ट्रायल कोर्ट को पलटा नहीं जा सकता था।

(5) उनके द्वारा उत्तर दिया गया पहला मामला *प्रोमोड नाथ सिन्हा रॉय और अन्य* बनाम *हरिषी बागधी* (1) है। इस मामले के तथ्य यह थे कि गवाहों के साक्ष्य को स्वयं न्यायाधीश द्वारा लिखित रूप में नहीं लिया गया

(1) ए.आई.आर.1929 कैल 78

था और न्यायाधीश ने ज्ञापन नहीं दिया था या ज्ञापन नहीं दिया था। गवाहों के साक्ष्य को न्यायाधीश द्वारा एक टाइपिस्ट को निर्देशित किया गया था और टाइप किए गए रिकॉर्ड की एक प्रति को संशोधित किया गया था और न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिन्होंने प्रत्येक गवाही के अंत में शब्दों को जोड़ा, 'आंखों के तनाव से बचने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित', 'शशि जीबन सेन-मुंसिफ'। साक्ष्य का केवल एक रिकॉर्ड था और वह स्वयं न्यायाधीश द्वारा नहीं लिया गया था और न ही न्यायाधीश द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया था या किया गया था और आदेश 18, नियम 5, 8 और 14 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर, इसे प्रति हेड नोट्स (ए) और (बी) के अनुसार निम्नानुसार रखा गया था: –

> "जिन मामलों में अपील की अनुमति दी जाती है, वहां साक्ष्य के एक या दो रिकॉर्ड हो सकते हैं। यदि केवल एक रिकॉर्ड है, यह न्यायाधीश के अपने हाथ से लिखित में बनाया जाना चाहिए; जबकि, यदि साक्ष्य को न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में लिया जाता है, हालांकि, 'न्यायाधीश की उपस्थिति में और व्यक्तिगत निर्देशन और अधीक्षण के तहत', न्यायाधीश को नियम 8 और 14 द्वारा प्रदान किए गए अनुसार एक ज्ञापन भी बनाना चाहिए या करना चाहिए।
>
> जहां गवाहों के साक्ष्य एक टाइपिस्ट को दिए गए थे और टाइप की गई प्रति को न्यायाधीश द्वारा संशोधित और हस्ताक्षरित किया गया था, जिन्होंने प्रत्येक गवाही के अंत में 'मेरे द्वारा निर्धारित' जोड़ा था, आदेश 18, नियम 5, 8 और 14 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था, लेकिन इस प्रकार साक्ष्य दर्ज करना एक अवैधता नहीं है, बल्कि केवल एक अनियमितता है।

अगला मामला जिस पर उन्होंने भरोसा किया वह किरण *सिंह और अन्य बनाम चमन पासवान और अन्य* (2) है। जिसमें इसे प्रति व्यक्ति-नोट्स (ए) और (बी) के अनुसार रखा गया था: –

> "यह एक मौलिक सिद्धांत है कि अधिकार क्षेत्र के बिना एक न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री अमान्य है, और इसकी अमान्यता तब और जहां भी इसे लागू करने या भरोसा करने की मांग की जाती है, यहां तक कि निष्पादन के स्तर पर और यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी स्थापित की जा सकती है। क्षेत्राधिकार का दोष, चाहे वह आर्थिक हो या प्रादेशिक, या चाहे वह कार्रवाई की विषय-वस्तु

के संबंध में हो, किसी भी डिक्री को पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार पर प्रहार करता है, और ऐसा दोष नहीं हो सकता है। पार्टियों की सहमति से भी ठीक हो गया।

धारा 11 (वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887) के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत यह है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, जिसके पास किसी वाद या अपील की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता, लेकिन अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के लिए, को इस रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि यह क्या होगा, बल्कि उस धारा के लिए, शून्य और शून्य है, और यह कि अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के आधार पर अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति, उस धारा के तहत निपटा जाना चाहिए न कि अन्यथा।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 में संबंधित आपत्तियों के संदर्भ में इसी सिद्धांत को अपनाया गया है।

(2) ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 340. "

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के लिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 और धारा 99 और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 को दरकिनार करने वाली नीति एक ही है, अर्थात्, जब किसी मामले की सुनवाई किसी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत गुण-दोष और निर्णय के आधार पर की गई हो, तो इसे विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर उलटने के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता न हो। और विधायिका की नीति क्षेत्रीय ^ और आर्थिक दोनों क्षेत्राधिकार पर आपत्तियों को तकनीकी के रूप में मानने की रही है और अपीलीय अदालत द्वारा विचार के लिए खुला नहीं है जब तक कि योग्यता पर पूर्वाग्रह न हो।

(6) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 में कहा गया है कि सरकार या सरकारी अधिकारी को लिखित में नोटिस दिए जाने या दिए जाने के बाद अगले दो महीने की समाप्ति तक ऐसे अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए किसी कार्य के संबंध में सरकार के खिलाफ या लोक सेवक के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।

(7) *वेल्लायन चेट्टियार और अन्य बनाम मद्रास प्रांत की सरकार और एक अन्य* (3), में यह देखा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत दिया जाने वाला नोटिस संबंधित प्राधिकारी की सुरक्षा के लिए है और यदि किसी विशेष मामले में उसे उस सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और वह ऐसा कहता है, तो वह कानूनी रूप से नोटिस के अपने अधिकार को माफ कर सकता है।

(3)ए.आई.आर. 1947 पी.सी.

(8) *राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल चमनलाल मोदी (4),* में तथ्य यह थे कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए राजस्थान सरकार के खिलाफ एक मुकदमे में, जो जयपुर राज्य की पूर्व सरकार के साथ किया गया था, प्रतिवादी राजस्थान राज्य ने यह दलील नहीं उठाई कि तत्कालीन जयपुर राज्य को दिया गया नोटिस सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का पर्याप्त अनुपालन नहीं था। और उस सवाल पर कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था, लेकिन अपील में पहली बार इसे उठाने की मांग की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि राजस्थान राज्य के पास अपील में पहली बार उस याचिका को उठाने का विकल्प नहीं है क्योंकि इसे

माफ माना जाना चाहिए। 1

(9) *ध्यान सिंह सोभा सिंह बनाम भारत संघ* (5) मामले में पृष्ठ 282 पर यह देखा गया था कि इस संबंध में आपत्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 की वैधता प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान में नहीं ली गई थी और न ही ट्रायल कोर्ट द्वारा इस संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया गया था और इसलिए, यह इस निष्कर्ष को सही ठहरा सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत आपत्ति को माफ कर दिया गया है।

(10)इस मामले में, वादी के गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट द्वारा टाइपिस्ट को अंग्रेजी में लिखे गए थे और इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया था। जब प्रतिवादी-अपीलकर्ता के गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई इस प्रक्रिया पर वादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी। जिला जज की अदालत में ट्रायल कोर्ट की डिक्री के खिलाफ अपील दायर होने पर वादी ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि पक्षकारों के साक्ष्य आदेश 18, नियम 5, 8 और 14,

(4) ए.आई.आर. 1959 राज। 126 (एफ.बी.)

(5) ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 274.

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार दर्ज नहीं किए गए थे और यह आपत्ति पहली बार उनके वकील द्वारा बहस के दौरान ली गई थी। इसलिए, वादी को यह माना जाना चाहिए कि उसने इस आपत्ति को माफ कर दिया है और उसे बहस के दौरान पहली बार इस आपत्ति को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आदेश 18, नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान निर्देशिका हैं और उनका अनुपालन न करने से मिराबक्स बनाम एम्परर (6) के तहत बयान अस्वीकार्य नहीं हो जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 में कहा गया है कि किसी भी डिक्री को उलट या काफी हद तक भिन्न नहीं किया जाएगा, न ही किसी भी मामले को पक्षकारों के किसी भी गलत निर्णय या कार्रवाई के कारण या मुकदमे में किसी भी कार्यवाही में किसी त्रुटि, दोष या अनियमितता के कारण अपील में रिमांड पर भेजा जाएगा, जो मामले के गुण-दोष या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। मौजूदा मामले में, ट्रायल कोर्ट के आदेश 18, नियम 5, 8 और 14 के प्रावधानों का अनुपालन न करना कोई अवैधता नहीं है, बल्कि एक अनियमितता है जो मामले की योग्यता या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है और इसलिए,

(6) ए.आई.आर. 1923 नागपुर

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास अपील स्वीकार करने और ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने और कानून के अनुसार साक्ष्य दर्ज करने के बाद मामले को नए फैसले के लिए भेजने की कोई शक्ति नहीं थी।

(11) प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश 18, नियम 5, 8 और 14 के प्रावधानों के अनुसार गवाहों के साक्ष्य दर्ज नहीं किए गए थे, और इसलिए, फाइल पर कोई कानूनी सबूत नहीं था, जिस पर कार्रवाई की जा सके और निचली अपीलीय अदालत का निर्णय सही था। इस विवाद के समर्थन में उन्होंने *महारानी बनाम मायादेब* गोसामी (7) पर भरोसा किया।

(7)आई.एल.आर. (1881) VI कैल 762

इस मामले के तथ्य यह थे कि एक कैदी ने दो शिशुओं की संपत्ति के संबंध में 1858 के अधिनियम XL के तहत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, और अपने आवेदन के समर्थन में उसने जिला न्यायाधीश के समक्ष शपथ ली थी। उनका बयान असमिया में दिया गया था और अदालत के शेरिष्टदार द्वारा इसका अनुवाद किया गया था और न्यायाधीश ने इसे अंग्रेजी में दर्ज किया था। उसने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, न ही इसे गवाह को पढ़ा गया या अनुवादति किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1877 की धारा 182 और 183 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। इन तथ्यों पर, यह माना गया कि गवाह की गवाही दर्ज करने में हुई कमियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 182 और 183 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के लिए उसके साक्ष्य के रिकॉर्ड को अस्वीकार्य बना दिया। यह मामला स्पष्ट रूप से अलग-अलग है और इस मामले के तथ्यों के लिए कोई आवेदन नहीं है। उस मामले में, गवाही पर न तो गवाह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और न ही इसे उसे पढ़ा गया था या उसका अनुवाद किया गया था। नतीजतन, सबूत कानूनी रूप से दर्ज नहीं किए गए थे।

(12) प्रतिवादी के वकील ने जिस अगले मामले पर भरोसा किया वह *निंगथौजम इबोबी सिंह और एक अन्य* बनाम *लैसराम बोरामनी सिंह* (8) मामला है। यह एक छोटे से वाद वाद में साक्ष्य दर्ज करने का मामला था, जिसमें अपील की अनुमति नहीं थी। रिकॉर्ड से पता चला कि केवल दलीलें और निर्णय थे और अदालत के समक्ष पेश किए गए गवाहों के सबूतों का कोई आधार नहीं था। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 13 के आदेश 18 के अनुसार, न्यायाधीश को प्रत्येक गवाह द्वारा दिए गए बयान के सार का एक ज्ञापन तैयार करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया और इसलिए, इस अनिवार्य प्रावधान का पालन

(8) ए.आई.आर. 1965 मणिपुर 34

न करने के लिए, निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया और मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए भेज दिया गया।

(13) अगला मामला जिस पर उन्होंने भरोसा किया है, वह नंद लाई और अन्य बनाम पूरन और अन्य (9) है। उस मामले में साक्ष्य जिसमें कोई अपील की अनुमति नहीं थी, अदालत से जुड़े क्लर्क द्वारा दर्ज किया गया था, जबकि न्यायाधीश अन्य काम करने में व्यस्त थे। इसलिए इस फैसले को रद्द कर दिया गया क्योंकि पीठासीन अधिकारी द्वारा कानून द्वारा निर्धारित तरीके से साक्ष्य दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए, एक क्लर्क द्वारा लिखे गए सबूतों के आधार पर निर्णय को अवैध माना गया था।

(14) अंतिम मामला, जिस पर प्रतिवादी के वकील द्वारा भरोसा किया गया

था, *एथिराज बनाम के. गोपालस्वामी चेट्टी* (10)।
(9)ए.आई.आर. 1956 राज। 9.
(10) (1972) आई एमएलजे 402।

उस मामले में, उच्च न्यायालय ने एक मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि साक्ष्य का केवल एक ज्ञापन लेने के बजाय साक्ष्य को पूरी तरह से दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट फिर से ऐसा करने में विफल रहा और साक्ष्य के ज्ञापन के रूप में कुछ भेजा और सबूतों को न्यायाधीश की उपस्थिति में पढ़ा गया और न ही न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इसलिए, यह माना गया कि निचली अदालत के डिक्री और निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया गया था और मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश .18, नियम 5 द्वारा आवश्यक साक्ष्य को ठीक से रिकॉर्ड करने के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया था।

(15) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी के वकील द्वारा भरोसा किए गए ये सभी चार मामले अलग-अलग हैं और वर्तमान मामले में इनका कोई आवेदन नहीं है। . कानून अच्छी तरह से तय है कि जिन मामलों में अपील की अनुमति है, वहां हो सकता है। या तो साक्ष्य के एक या दो रिकॉर्ड और यदि केवल एक रिकॉर्ड है, तो इसे न्यायाधीश के स्वयं के हाथ से लिखित में बनाया जाना चाहिए; जबकि यदि साक्ष्य को न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में लिया जाता है, हालांकि न्यायाधीश की उपस्थिति में और न्यायाधीश के व्यक्तिगत निर्देशन और अधीक्षण के तहत, तो न्यायाधीश को एक ज्ञापन भी बनाना चाहिए या बनाना चाहिए, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के नियम 8 और 14 द्वारा प्रदान किया गया है। हालांकि, यदि गवाहों के साक्ष्य को न्यायाधीश द्वारा स्वयं न्यायालय की भाषा में दर्ज नहीं किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में एक टाइपिस्ट को निर्देशित किया जाता है और साक्ष्य पर न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो आदेश 18, नियम 5, 8 और 14, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है और इस तरह से साक्ष्य की रिकॉर्डिंग अवैध नहीं है, लेकिन एक अनियमितता जो इसके आधार पर पारित डिक्री को शून्य और शून्य नहीं बनाती है, और धारा 99, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए डिक्री को उलट नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अदालत की भाषा में साक्ष्य रिकॉर्ड करना उचित और वांछनीय है।

(16) उपर्युक्त कारणों के बावजूद, मैं मानता हूं कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। अत, इस अपील को स्वीकार किया जाता है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के दिनांक 13 अगस्त, 1973 के आदेश को निरस्त किया जाता है जिसमें निचली अदालत के निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया गया था और कानून के अनुसार साक्ष्य दर्ज करने के बाद मामले को नए निर्णय के लिए ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया गया था और

मामले को राम चंदर वादी द्वारा दायर अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को वापस भेज दिया गया था। मामले की परिस्थितियों में, पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

बी.एस.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा